

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 18]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 1 मई 2020—वैशाख 11, शक 1942

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 2 मार्च 2020

क्रमांक ई 1-02/2020/एक-2.—राज्य शासन एतद्वारा विभागीय आदेश दिनांक 12-12-2019 द्वारा श्री टामन सिंह सोनवानी, भा.प्र.से. (2004) को अधिसमय वेतनमान में पदोन्नत कर सचिव, मुख्यमंत्री के पद पर पदस्थ करते हुए सचिव, विमानन विभाग, संचालक, विमानन, संचालक, कृषि तथा आयुक्त गन्ना का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है. उक्तादेश में आंशिक संशोधन करते हुए संचालक, कृषि के अतिरिक्त प्रभार के स्थान पर आयुक्त, कृषि का अतिरिक्त प्रभार प्रदान करता है.

शेष प्रभार यथावत् रहेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमलप्रीत सिंह, सचिव.

वन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 14 फरवरी 2020

क्रमांक एफ 01-73/2001/10-भा.व.से.—राज्य शासन एतद्वारा निम्नलिखित भारतीय वन सेवा अधिकारियों को उनकी अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने के फलस्वरूप उनके नाम के समक्ष कॉलम-4 में उल्लेखित तिथि को शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त करता है :—

क्र. (1)	अधिकारियों का नाम, बैच, पदनाम एवं पदस्थापना (2)	जन्मतिथि (3)	सेवानिवृत्ति तिथि (4)
1.	श्री मुदित कुमार सिंह (1984) महानिदेशक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् रायपुर.	03-07-1961	31-07-2021
2.	श्री जे.ए.सी.एस.राव (1987) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छ.ग. राज्य वन औषधि पादप बोर्ड, रायपुर.	01-07-1961	31-07-2021
3.	श्री के. मुरुगन (1987) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, संयुक्त वन प्रबंधन/नीति विश्लेषण मुख्यालय, अटल नगर, नवा रायपुर.	28-12-1961	31-12-2021
4.	श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह (1987) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (संरक्षक) छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, अटल नगर.	30-03-1961	31-03-2021
5.	श्री एच.एल.रात्रे (1997) मुख्य वन संरक्षक, (इको-टुरिज्म) छत्तीसगढ़, रायपुर.	05-09-1961	30-09-2021
6.	श्री फुलजेंस टोप्पो (2003) वन संरक्षक, (कार्य आयोजना), सरगुजा वृत्त, अंबिकापुर.	06-08-1961	31-08-2021

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भोस्कर विलास संदिपान, संयुक्त सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 10 फरवरी 2020

क्रमांक एफ-7-05/2017/दो-गृह/भापुसे.—राज्य शासन एतद्वारा श्री चंद्रमोहन सिंह (भापुसे 2009), पुलिस अधीक्षक, जिला कोरिया, छ.ग. को दिनांक 10-02-2020 से 22-02-2020 (कुल 13 दिवस) तक का अर्जित अवकाश स्वीकृति प्रदान की जाती है. साथ ही दिनांक 08, 09 एवं 23 फरवरी 2020 को विज्ञप्त शासकीय अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री चंद्रमोहन सिंह (भापुसे), पुलिस अधीक्षक, जिला कोरिया, छ.ग. के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री सिंह (भापुसे) को अवकाश वेतन, भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में जाने से पूर्व मिलते थे.
4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सिंह (भापुसे) अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
5. श्री चंद्रमोहन सिंह (भापुसे 2009), पुलिस अधीक्षक, जिला कोरिया, छ.ग. के उक्त अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री गिरिजाशंकर जायसवाल, भापुसे, सेनानी, 13वीं वाहिनी, छसबल, बांगो, जिला कोरबा, छ.ग. को उनके वर्तमान कार्य के साथ-साथ सौंपा जाता है.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 25 फरवरी 2020

क्रमांक एफ-7-01/2019/दो-गृह/भापुसे.—राज्य शासन एतद्वारा श्री विजय अग्रवाल, भापुसे, सेनानी, 7वीं वाहिनी, छसबल, भिलाई, जिला दुर्ग, छ.ग. को दिनांक 22-02-2020 से 02-03-2020 (कुल 10 दिवस) तक का अर्जित अवकाश स्वीकृति प्रदान की जाती है. साथ ही दिनांक 21 फरवरी 2020 को विज्ञप्त शासकीय अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री विजय अग्रवाल (भापुसे), सेनानी, 7वीं वाहिनी, छसबल, भिलाई, जिला दुर्ग, छ.ग. के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.
3. अवकाश काल में श्री अग्रवाल (भापुसे) को अवकाश वेतन, भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में जाने से पूर्व मिलते थे.
4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अग्रवाल (भापुसे) अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
5. श्री विजय अग्रवाल, भापुसे, सेनानी, 7वीं वाहिनी, छसबल, भिलाई, जिला दुर्ग, छ.ग. के उक्त अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री गोवर्धन राम ठाकुर, भापुसे, सेनानी, प्रथम वाहिनी, छसबल, भिलाई, जिला दुर्ग, छ.ग. को उनके वर्तमान कार्य के साथ-साथ सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. पी. कौशल, अवर सचिव.

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 5 फरवरी 2020

क्रमांक एफ 4-12/2014/इ.सू.प्रौ./56.—राज्य शासन एतद्वारा, “छत्तीसगढ़ राज्य की इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं में निवेश की नीति, 2014-19” के क्रियान्वयन की समयावधि को आगामी “छत्तीसगढ़ राज्य की इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं में निवेश की नीति, 2019-24” लागू होने की तिथि तक बढ़ाता है.

2. उपरोक्त कंडिका के अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा अधिसूचित “छत्तीसगढ़ राज्य की इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं में निवेश की नीति, 2014-19” की अन्य कंडिकाएं अपरिवर्तनीय रहेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
समीर विश्‍नोई, संयुक्त सचिव.

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 5 फरवरी 2020

क्रमांक एफ 4-12/2014/इ.सू.प्रौ./56.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-12/2014/इ.सू.प्रौ./56, दिनांक 05-02-2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
समीर विश्नोई, संयुक्त सचिव.

Nawa Raipur, Atal Nagar, the 5th February 2020

No. F 4-12/2014/E&IT/56.—State Government, hereby extends the implementation period of the “Electronics, Information Technology and Information Technology Enabled Services Investment Policy of “Chhattisgarh State, 2014-19” till the date of enforcement of subsequent Chhattisgarh State Investment Policy in Electronics, Information Technology and Information Technology Enabled Services, 2019-24.”

2. In addition to the above, the other provisions notified by the State Government in “Electronics, Information Technology and Information Technology Enabled Services Investment Policy of “Chhattisgarh State, 2014-19” will remain unchanged.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
SAMEER VISHNOI, Joint Secretary.

महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 31 जनवरी 2020

क्रमांक एफ 6-88/2009/3911 मबावि/50.—राज्य शासन एतद्वारा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 10(1) के प्रावधानों के अनुसार निम्न संस्थाओं को सेवा प्रदाता के रूप में अधिसूचित करता है :—

क्र. (1)	जिला (2)	स.क्र. (3)	संस्था का नाम (4)	रिमार्क (5)
1.	कोरिया	1.	उपकार सेवा समिति, बैकुण्ठपुर	नवीनीकरण हेतु
		2.	काईट केयर सोसायटी, कोरिया	नवीनीकरण हेतु
		3.	छ.ग. प्रचार एवं विकास संस्थान, अम्बिकापुर	नवीनीकरण हेतु

अधिसूचित संस्थाएँ घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्य संपादित करेंगी. साथ ही पीड़ित को सभी प्रकार की आवश्यक सुविधा एवं आवश्यकतानुसार आश्रय एवं पुनर्वास सुविधा उपलब्ध करायेंगी. संस्था द्वारा आवश्यकतानुसार/मांगे जाने पर संरक्षण अधिकारी एवं माननीय न्यायालयों को यथा आवश्यक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगी.

उक्त आदेश अधिसूचना जारी होने की तिथि से 3 वर्ष तक के लिए वैध रहेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजया खेस्म, अवर सचिव.

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 5 मार्च 2020

क्रमांक 524/एफ 24/01/2020/13/2/ऊ.वि.—विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पत्र क्रमांक 12/2/2018-ईव्ही दिनांक 14-12-2012 से इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग अधोसंरचना हेतु जारी 'दिशा-निर्देश एवं मानक' की कंडिका-10 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन, एतद्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग अधोसंरचना की स्थापना हेतु 'छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, रायपुर' को 'राज्य की नोडल एजेंसी' घोषित करता है।

यह अधिसूचना जारी होने की तिथि से प्रभावशील समझी जावेगी।

No. 524/F 24/01/2020/13/2/EV.—Power conferred in clause 10 of letter No. 12-2-2018 EV dated 14-12-2012 of Ministry of Power regarding "Charging Infrastructure for Electric Vehicles-Guidelines and Standards", the Government of Chhattisgarh, hereby, designate the 'Chhattisgarh Electricity Power Distribution Company Limited (CSPDCL) Raipur' as the "State Nodal Agency" for setting the Charging Infrastructure for electric vehicles in the State.

This notification shall come in force from the date of issue.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मोहम्मद कैसर अब्दुलहक, विशेष सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 3 फरवरी 2020

क्रमांक एफ 7-23/2018/32.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्वारा इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 31-07-2018 द्वारा गठित बड़े कनेरा निवेश क्षेत्र में अनुसूची-एक में दिये गये ग्राम छोटे बंजोड़ा को शामिल करते हुए पुनर्गठित बड़े कनेरा निवेश क्षेत्र की सीमाएं अनुसूची-दो निर्धारित की जाती हैं :—

अनुसूची-एक

बड़े कनेरा निवेश क्षेत्र में शामिल ग्राम

ग्राम :— छोटे बंजोड़ा

अनुसूची-दो

बड़े कनेरा निवेश क्षेत्र की पुनर्गठित सीमाएं

उत्तर में : ग्राम कमेला, बड़े कनेरा, जरे बेंदरी, बोलबोला एवं छोटे बंजोड़ा ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.
पश्चिम में : ग्राम छोटे बंजोड़ा, बोलबोला, करंजी ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.
दक्षिण में : ग्राम करंजी कुकाड़गारकापाल एवं बड़े कनेरा, कमेला ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.
पूर्व में : ग्राम कमेला ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भोसकर विलास संदिपान, संयुक्त सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा (छत्तीसगढ़), एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

सरगुजा, दिनांक 24 फरवरी 2020

क्रमांक 01/अ-82/2019-20.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	अम्बिकापुर	पोंड़ीकला प.ह.नं. 40	2.585	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, क्रमांक-1, अम्बिकापुर जिला-सरगुजा (छ.ग.).	लैगू बाईं तट नहर व्यपवर्तन योजना हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ.ग.) के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 24 फरवरी 2020

क्रमांक 02/अ-82/2019-20.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	अम्बिकापुर	कर्ी प.ह.नं. 40	3.703	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, क्रमांक-1, अम्बिकापुर जिला-सरगुजा (छ.ग.).	लैगू बाईं तट नहर व्यपवर्तन योजना हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ.ग.) के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सारांश मित्तर, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़
एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व
एवं आपदा प्रबंधन विभाग

महासमुंद, दिनांक 11 फरवरी 2020

क्रमांक/78/अ.वि.अ./भू-अर्जन/01 अ/82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-महासमुंद
(ख) तहसील-महासमुंद
(ग) नगर/ग्राम-रैमुड़ा, प.ह.नं. 06
(घ) लगभग क्षेत्रफल-01.08 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
263	0.13
264	0.10
265	0.10
268/2	0.01
266	0.24
496	0.12
498	0.22
499	0.01
262	0.15

योग

1.08

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-प्रस्तावित पुरातत्व सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), महासमुंद छ.ग. के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुंद, दिनांक 22 फरवरी 2020

क्रमांक/08/अ-82/वर्ष 17-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-महासमुंद
(ख) तहसील-सरायपाली
(ग) नगर/ग्राम-कलेण्डा, प.ह.नं. 41
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.75 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
377	0.02
378	0.07
748	0.05
972	0.06
379	0.02
380	0.04
360	0.03
381	0.01
361/1	0.04
351	0.06
731	0.03
732	0.03
733	0.03
756/3	0.05
734	0.04
911	0.09
917	0.04
740	0.07
735	0.06
332	0.05
743	0.04
744/2	0.03
314	0.06
750	0.09
914	0.07

(1)	(2)	(1)	(2)
918	0.07	975/3	0.03
922	0.02	1006/2	0.10
937	0.05	938	0.05
943	0.04	941	0.04
946	0.02	976	0.19
947	0.02	1024/1	0.08
948	0.04	1024/3	0.03
949/1	0.01	1024/5	0.06
1022/2	0.04	1024/4	0.01
971	0.03	1024/2	0.02
974	0.19		
973	0.01	योग	56
1004/2	0.08		2.75
1004/1	0.03	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सिंगबहाल	
987	0.12	जलाशय योजना के शाखा नहर निर्माण कार्य.	
977/1259	0.01		
988	0.04	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी	
989/1	0.04	(रा.), सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.	
989/2	0.04		
990	0.03	छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,	
991	0.03	सुनील कुमार जैन, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.	

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, बालोद छ.ग.

बालोद, दिनांक 28 फरवरी 2020

क्रमांक/57/ELU/दल्लीराजहरा/नगानि/2020.—एतद्वारा सूचना दी जाती है, कि दल्लीराजहरा निवेश क्षेत्र के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर को छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन तैयार किया गया है और उसकी एक-एक प्रति कार्यालय कलेक्टर, जिला-बालोद, नगर पालिका परिषद् दल्लीराजहरा/प्रदर्शनी स्थल एवं नगर पंचायत चिखलाकसा/प्रदर्शनी स्थल, एवं कार्यालय सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, बालोद के कार्यालयों में दिनांक 28-02-2020 से कार्यालयीन अवधि के दौरान कार्यकारी दिवसों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है. दल्लीराजहरा निवेश क्षेत्र की सीमा निम्नलिखित अनुसूची में अंकित है.

अनुसूची

दल्लीराजहरा निवेश क्षेत्र की सीमाएं

- उत्तर में : ग्राम चिखलाकसा की उत्तरी सीमा तक.
 पश्चिम में : ग्राम माहुलझप्पी, झरणदल्ली एवं चिखलाकसा की पश्चिमी सीमा तक.
 दक्षिण में : ग्राम माहुलझप्पी की दक्षिणी सीमा तक.
 पूर्व में : ग्राम चिखलाकसा, पंडरीदल्ली, झरणदल्ली एवं माहुलझप्पी की पूर्वी सीमा तक.

यदि इस प्रकार तैयार किये गए अनुसूची के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव हो, तो उक्त विनिर्दिष्ट स्थल पर तथा इस सूचना के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 दिन की समयावधि के भीतर लिखित रूप से कार्यालय सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, बालोद (छ.ग.) को या निरीक्षण स्थल पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए.

भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी उक्त मानचित्र के संबंध में किसी ऐसे आपत्ति या सुझाव पर जो किसी व्यक्ति द्वारा विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर प्राप्त हो तो सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय बालोद द्वारा विचार किया जावेगा.

निरीक्षण स्थल :

1. कार्यालय कलेक्टर, जिला-बालोद
2. कार्यालय नगर पालिका परिषद् दल्लीराजहरा.
3. कार्यालय नगर पंचायत चिखलाकसा.
4. कार्यालय सहायक संचालक नगर तथा ग्राम निवेश बालोद.

No./57/ELU/Dallirajhara/T&CP/2020.—Notice is hereby given that the existing land use maps and register in Dallirajhara planning area has been prepared under sub section (i) of section 15 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973 (No. 23 of 1973) and a copy there of is available for inspection from date 28-02-2020 During office hour in the office of the collector, office of Nagar Palika dallirajhara and nagar Panchayat Chikhlakasa (Exhibition Venue), office of the Assistant Director, Town & Country Planning Balod. The limit of the Dallirajhara Plannig Area is defined in the schedule given below :—

SCHEDULE

Limits of Gunderdehi Planning Area

NORTH	:	Village Chikhlakasa up to North Boundary.
WEST	:	Village Mahuljhappi up to West Boundary.
SOUTH	:	Village Mahuljhappi up to South Boundary.
EAST	:	Village Chikhlakasa, Pandridalli, Jharandalli, Mahuljhappi up to East Boundary.

If there be any objection or suggestion with the existing land use map so prepared it should be send in writing to the Assistant Director, Town & Country Planning, Balod C.G. or Inspection site writing a period of Thirty days from the that date of publication of the Notice in the Chhattisgarh Gazette.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said existing land use map before specified above will be considered by the Assistant Director, Town & Country Planning, Balod C.G.

Inspection Site :

1. Office of the Collector
2. Office of the Nagar Palika Parishad Dallirajhara.
3. Office of the Nagar Panchayat Chikhlakasa.
4. Office of the Assistant Director Town & Country Planning Balod.

प्रीति देवांगन,
सहायक संचालक.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, राजनांदगांव (छ.ग.)

राजनांदगांव, दिनांक 9 मार्च 2020

क्रमांक 1853/ज्ये.लि. 1/2020.—जिले में गर्मी एवं वर्ष के मौसम प्रारंभ होते ही जल-जनित संक्रामक रोग जैसे-उल्टी-दस्त, अन्त्रशोध, पीलिया आदि के फैसले का खतरा प्रारंभ हो जाता है। गर्मी एवं वर्षा ऋतु में इन बीमारियों के महामारी का रूप धारण करने की संभावना रहती है, और इन पर प्रभावशील तरीके से नियंत्रण के उपाय हर स्तर पर किया जाना आवश्यक है। अतः छत्तीसगढ़ आपत्तिक हैजा, जठर, आंत्रशोध तथा संक्रामक यकृत शोध अधिनियम 1983 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग में लाते हुए मैं जयप्रकाश मौर्य, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी उक्त विनियम के नियम-3 के अधीन सम्पूर्ण राजनांदगांव जिला को 6 माह (छः माह) की अवधि के लिये अधिसूचित क्षेत्र घोषित करता हूँ।

(2) जिले के विभिन्न शहरों, हाट-बाजारों तहसील एवं विकासखण्ड मुख्यालय के बाजारों, बस स्टैंडों के होटलों, दुकानों, ग्रामीण क्षेत्रों के हाट-बाजारों एवं अन्य साधनों से सड़े-गले फल, मानव खाद्य के लिये रोगग्रस्त या अशुद्ध या अस्वास्थ्यकर साग सब्जियाँ, मिष्ठान, मांस मछलियों, अनाज, रोटी मानवीय उपयोग के लिये पेय पदार्थ जैसे बर्फ, आईसक्रीम, शीतल पेय, गंदा गन्नारस आदि बेचे जाने से हैजा, आंत्रशोध, पेचिस एवं संक्रामक बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। इस प्रकार की हानिकारक वस्तुओं की बिक्री रोकने के लिये छ.ग. आपत्तिक हैजा, जठर, आंत्रशोध तथा संक्रामक यकृत शोध विनियम 1983 के नियम (2) (ज) में विनिर्दिष्ट अधिकारियों अर्थात् मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय राजनांदगांव, खण्ड चिकित्सा अधिकारी एवं जिले के समस्त नगर निगम क्षेत्र/नगर पालिका/नगर पंचायत, अधिकारियों को निरीक्षण एवं सघन अभियान व प्रचार-प्रसार चलाने के लिये निर्देश दिये जाते हैं।

(3) जिले के महत्वपूर्ण रेल्वे स्टेशन, बस स्टैंड एवं सार्वजनिक स्थानों के यात्रियों को हैजा का टीका लगाने की समुचित व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा की जाएगी।

(4) यह आदेश पूर्व सावधानी उपाय के रूप में प्रसारित किया जा रहा है।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

जयप्रकाश मौर्य,
कलेक्टर.

कार्यालय वन मण्डल अधिकारी कांकेर वन मण्डल कांकेर

कांकेर, दिनांक 18 अक्टूबर 2019

क्रमांक/स्था./2019/7847.—छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन नया रायपुर के आदेश क्र. एफ 1-02-2019/10-भा.व.से.) 15-10-2019 के पालन में अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा वनमण्डल अधिकारी कांकेर वनमण्डल कांकेर का प्रभार दिनांक 18-10-2019 को अपराह्न को ग्रहण कर लिया गया है।

No./Est./2019/7847.—Certified that in according with the Govt. of Chhattisgarh Forest Department Mahanadi Bhawan Naya Raipur Order No. F 1-02/2019/10-(IFS) date 15-10-2019 Shri Ram Singh Mandavi (S.D.O.) Make over to Shri Arvind P. M. (I.F.S.) charge of the D.F.O. Kanker dated 18-10-2019 that the office receiving charge.

कांकेर, दिनांक 3 फरवरी 2020

क्रमांक/स्था./2020/284.—प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, छत्तीसगढ़ अरण्य भवन, सेक्टर-19 नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर अटल नगर के आदेश क्रमांक/प्रशा.राज./व्य.नं.-196/05 नवा रायपुर, दिनांक 03-02-2020 के पालन में अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा वनमण्डल अधिकारी कांकेर वनमण्डल कांकेर का प्रभार दिनांक/...../2020 को पूर्वान्ह को ग्रहण कर लिया गया है.

No./Est./2020/284.—Certified that in according with the PCCF Raipur to Order No. 196/05 date 03-02-2020 Shri Varun Jain (I.F.S.) Make over to Shri Aravind P. M. (I.F.S.) charge of the D.F.O. Kanker on for noon Dated 3/2/2020 that the office receiving charge.

हस्ता./-
वन मण्डल अधिकारी.

संचालनालय कृषि, छत्तीसगढ़
कृषि विकास भवन, सेक्टर-19, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

रायपुर, दिनांक 23 नवम्बर 2019

क्रमांक गन्ना/क्षेत्र आरक्षण/2019-20/10909.—मैं टामन सिंह सोनवानी, गन्ना आयुक्त छ.ग. रायपुर, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, सहकारी शक्कर कारखाना पण्डरिया जिला कबीरधाम के लिये छ.ग. गन्ना (प्रदाय एवं क्रय नियमन) अधिनियम 1958 की धारा 15 एवं 16 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, कलेक्टर कबीरधाम द्वारा प्रस्तावित गन्ना क्षेत्र को, निम्नानुसार क्रय केन्द्रों के अंतर्गत आने वाले ग्रामों का गन्ना, गन्ना पेराई वर्ष 2019-20 के लिये आरक्षित घोषित करता हूँ. यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा. आरक्षित किये गये ग्रामों का गन्ना निम्नानुसार केन्द्रों पर शक्कर कारखाना द्वारा क्रय किया जावेगा :—

क्र. (1)	क्रय केन्द्र का नाम (2)	विकासखण्ड (3)	ग्रामों की संख्या (4)	गन्ना क्षेत्र हेक्टेयर में (6)
1.	कारखाना द्वार	पण्डरिया	198	9402.611
		मुंगेली	31	92.700
		लोरमी	29	126.27
		योग	258	9621.581

टामन सिंह सोनवानी,
गन्ना आयुक्त.

पेरार्ड सत्र 2018-19 हेतु लौहपुरुष सारदार गल्लंग भाई पटेल राइकाशी शक्कर कारखाना के कार्यक्षेत्र में उपलब्ध गन्ना क्षेत्र का विवरण विकासखण्ड-पण्डरिया, जिला-कबीरघाट (छ.ग.)					
कुल गन्ना सर्वेक्षण रिपोर्ट ग्रागवार (पण्डरिया ब्लाक) सत्र 2018-20					
स.क्र.	ग्राम का नाम	कुल गन्ना कृषक संख्या	कुल गन्ना क्षेत्रफल एकड़ में	कुल गन्ना क्षेत्रफल हेक्. में .	विशेष
1	सांवतपुर	26	31.92	12.919	
2	बाघामुड़ा	13	21.94	8.880	
3	सैगोनाडीह	31	89.24	36.114	
4	किशुनगढ़	118	235.14	95.160	
5	दलपुरुवा	62	127.91	51.763	
6	बोधीपारा	3	3.97	1.607	
7	पेड्डीखुर्द	34	55.51	22.463	
8	डोमनपुर	6	9.44	3.819	
9	सिरमाडबरी	68	108.45	43.890	
10	मोहतराखुर्द	95	190.48	77.086	
11	रमतला	108	179.67	72.711	
12	झिरियाखुर्द	14	28.16	11.395	
13	सारूपारा	12	42.51	17.204	
14	गौरकापा	2	0.88	0.355	
15	कांपादह	26	51.80	20.962	
16	अमलडिहा	6	12.09	4.891	
17	सोमनापुर नया	31	48.48	19.620	
18	करपी कला	3	3.12	1.262	
19	मरेवापारा	20	44.81	18.133	
20	भद्राली	9	20.89	8.453	
21	दुल्लापुर बजार	3	4.93	1.994	
22	घुटरकुंडी	24	33.57	13.584	
23	बरेझापारा	1	1.00	0.405	
24	बिझौरी	1	1.00	0.405	
25	खैरझिटी (पुराना)	60	135.88	54.989	
26	भगतपुर (राम्हेपुर)	46	101.51	41.079	
27	भगतपुर	27	60.14	24.339	
28	गांगपुर	8	24.11	9.758	
29	बिजईटोला	42	104.04	42.103	
30	बिनीरी	24	50.94	20.616	

स.क्र.	ग्राम का नाम	कुल गन्ना कृषक संख्या	कुल गन्ना क्षेत्रफल एकड़ में	कुल गन्ना क्षेत्रफल हेक्. में	विशेष
31	घोघरा कला	25	64.83	26.235	
32	गुरपी	4	11.20	4.533	
33	करपी गोखान	3	9.50	3.845	
34	बिरमपुर	6	12.30	4.978	
35	लिम्हईपुर	6	8.44	3.415	
36	देवसरा	2	4.40	1.781	
37	बकेला	2	2.30	0.931	
38	गौरकापा	26	69.75	28.227	
39	चारभाटा कला	127	243.38	98.496	
40	चारभाटा खुर्द	236	484.23	195.965	
41	मुनमुना	14	23.64	9.566	
42	कड़मा	1	2.30	0.931	
43	कामठी	1	2.00	0.809	
44	सर्राईपतेरा	87	177.22	71.719	
45	नवागांव कला	24	93.41	37.801	
46	डोंगरीया कला	383	778.92	315.223	
47	दशरंगपुर	226	458.58	185.583	
48	मुनगाडीह	2	3.90	1.578	
49	सेनहाभाटा	14	24.96	10.101	
50	महका	11	31.54	12.764	
51	भुवालपुर	6	16.11	6.518	
52	बिजाभाटा	3	3.80	1.538	
53	डबरी	6	27.39	11.085	
54	बघर्रा	12	16.85	6.818	
55	भईसबोड़	14	23.48	9.502	
56	नवागांव मुसउ	21	38.88	15.735	
57	रेगाबोड़	15	26.17	10.591	
58	दुल्लापुर	23	32.07	12.979	
59	बनियाकुवा	6	9.54	3.863	
60	सुरजपुरा	81	94.86	38.391	
61	महली	41	45.87	18.563	
62	केसलमरा	26	33.81	13.684	
63	रुसे	463	860.14	348.095	
64	अधियारखोर	218	517.24	209.325	

स.क्र.	ग्राम का नाम	कुल गन्ना कृषक संख्या	कुल गन्ना क्षेत्रफल एकड़ में	कुल गन्ना क्षेत्रफल हेक्. में	विशेष
65	केसली गोड़न	10	17.40	7.042	
66	सगौना	6	10.05	4.067	
67	रैतापारा	242	520.06	210.466	
68	घरखुराकला	78	335.10	135.612	
69	सण्डी	66	153.85	62.263	
70	भिरकोना	9	21.09	8.534	
71	रहमानकापा	8	21.82	8.830	
72	झिरिया कला	9	24.44	9.891	
73	बुचीपारा	7	16.63	6.730	
74	नवागांव टिकैत	3	15.89	6.431	
75	पुतकीखुर्द	22	38.23	15.472	
76	दलपी	3	6.71	2.715	
77	नरसिंहपुर	3	5.20	2.104	
78	उदका	2	2.00	0.809	
79	सरईसेत	4	6.20	2.509	
80	लालपुरखुर्द	5	10.49	4.245	
81	लालपुर पण्डरिया	75	164.44	66.547	
82	प्रतापुर	63	150.96	61.091	
83	जंगलपुर	259	442.88	179.231	
84	काशीमाटी	183	364.39	147.467	
85	मोहताराकला	276	462.11	187.011	
86	कंझेटा	172	271.31	109.797	
87	कोलेगांव	213	404.13	163.549	
88	कंझेटी	34	91.70	37.111	
89	पथरी	60	121.08	49.001	
90	बसनी	63	86.90	35.168	
91	भटरुसें	48	126.44	51.169	
92	सोमनापुर	45	75.33	30.484	
93	मोतेसरा	17	36.35	14.711	
94	सौहामालगी	120	249.21	100.854	
95	कौयलारीकला	6	10.07	4.075	
96	आमादाह	5	8.85	3.582	
97	बंसापुर	7	15.67	6.342	
98	प्राणखैरा	14	28.33	11.465	

स.क्र.	ग्राम का नाम	कुल गन्ना क्षेत्रफल संख्या	कुल गन्ना क्षेत्रफल एकड़ में	कुल गन्ना क्षेत्रफल हेक्. में	विशेष
99	पंचधार	1	2.00	0.809	
100	गोबर्रा	14	27.88	11.283	
101	कुंवाभालगी	150	248.22	100.452	
102	कोदवाकला	29	57.86	23.416	
103	निगापुर	74	147.97	59.883	
104	खगेश नवागांव	8	20.50	8.296	
105	बम्हईपुर	1	1.30	0.526	
106	बिपतपुर	1	1.20	0.486	
107	जैतपुरी	1	1.00	0.405	
108	पवरजली	2	3.54	1.431	
109	महुवामडवा	14	27.51	11.134	
110	पदुवा	12	26.15	10.583	
111	रेहुटाकला	21	29.84	12.074	
112	अमलीमालगी	81	137.33	55.577	
113	सेमरकोना	21	44.75	18.110	
114	सुरजपुराखुर्द	36	70.60	28.571	
115	खलदुकरी	78	117.07	47.376	
116	बोड़तराखुर्द	105	217.15	87.878	
117	पिपरखुटी	23	47.80	19.343	
118	पड़कीकला	30	41.50	16.793	
119	धोबघट्टी	187	359.30	145.406	
120	खरहट्टा	30	40.85	16.531	
121	छीतापार	44	71.65	28.997	
122	बेलमुड़ा	57	91.15	36.887	
123	लोखान	23	47.68	19.294	
124	कलमपुर	1	2.00	0.809	
125	सुकलीगाविंद	1	3.00	1.214	
126	गिरधारीकांपा	1	2.00	0.809	
127	अतरिया	1	2.00	0.809	
128	टाटाकासा	2	5.30	2.145	
129	दुल्लीपार	12	87.44	35.386	
130	नाकरी	79	149.30	60.419	
131	खुटा	2	2.30	0.931	
132	डोलाकापा	2	2.00	0.809	

स.क्र.	ग्राम का नाम	कुल गन्ना गृहक संख्या	कुल गन्ना क्षेत्रफल एकड़ में	कुल गन्ना क्षेत्रफल हेक्. में .	विशेष
133	घोरपेंडी	28	54.62	22.103	
134	गुण्डा	151	238.47	96.507	
135	जोगरियाखुर्द	7	17.30	7.001	
136	मैनपुरा	39	49.95	20.213	
137	अलीपुर	5	6.30	2.550	
138	मोतिमपुर	15	32.49	13.147	
139	गंझोली	183	328.29	132.857	
140	देवपुरा	47	91.81	37.154	
141	कुबाखुर्द	40	88.80	35.935	
142	डोमसरा	36	58.61	23.721	
143	नवागांवहटहा	47	78.00	31.565	
144	रेहुटाखुर्द	36	65.22	26.392	
145	लडुवा	132	243.53	98.555	
146	रोहरा	66	150.48	60.897	
147	लाङ्गपुर	68	145.96	59.068	
148	बिसेसरा	88	204.68	82.831	
149	परसवारा	287	546.95	221.349	
150	पुतकीकला	104	200.88	81.294	
151	पेन्डीकला	90	175.14	70.878	
152	हथमुडी	85	180.04	72.862	
153	रापा	95	188.01	76.088	
154	गुंझेटा	28	61.38	24.839	
155	खमहरिया	30	62.26	25.196	
156	अखरा	66	119.96	48.546	
157	केशलीखुर्द	42	65.18	26.380	
158	धनेली	104	169.48	68.587	
159	ओड़ाडबरी	9	23.22	9.397	
160	पीपरमाटी	85	200.63	81.194	
161	लालपुर कुई	14	32.42	13.120	
162	कुई	12	28.28	11.444	
163	पटौहा	5	7.47	3.021	
164	लोखान	25	59.68	24.151	
165	खाम्ही	2	3.76	1.522	
166	सेमरहा	3	6.33	2.562	

स.क्र.	ग्राम का नाम	कुल गन्ना भूषक संख्या	कुल गन्ना क्षेत्रफल एकड़ में	कुल गन्ना क्षेत्रफल हेक्. में .	विशेष
167	अमेरा	5	6.62	2.679	
168	कोयलारीचमपा	137	296.34	119.926	
169	कुम्ही	336	557.79	225.733	
170	गजनुवापा	72	143.34	58.007	
171	नवागांवगजरी	57	86.48	34.997	
172	खैरवारफला	159	240.53	97.341	
173	पण्डरिया	181	380.98	154.182	
174	सिंगारपुर	15	47.44	19.197	
175	तेंदुवाडीह	51	133.01	53.826	
176	पण्डरिया नवापारा	7	26.00	10.522	
177	पाढ़ी	11	11.87	4.802	
178	रौहा	103	237.03	95.924	
179	सोढ़ा	160	351.12	142.095	
180	भगतपुर	131	271.81	109.998	
181	रुसेकापा	42	118.05	47.773	
182	मोहगांव	326	752.55	304.553	
183	नवापारा पाण्डातराई	184	407.35	164.854	
184	पलानसरी	503	1205.40	487.819	
185	पाण्डातराई	402	590.08	238.802	
186	नानापुरी	36	63.69	25.775	
187	खैरझिटी नया	21	37.61	15.221	
188	कोड़ापुरी	9	22.72	9.195	
189	नेउरगांव	44	85.56	34.626	
190	तोरला नवापारा	97	162.37	65.710	
191	सोनपुरी	14	25.51	10.324	
192	बांधा	54	81.38	32.934	
193	पुसेरा	36	73.40	29.705	
194	पौनी	95	121.73	49.263	
195	तिलईभाठ	87	163.94	66.346	
196	नरोली	2	5.00	2.023	
197	प्राणकापा	3	4.00	1.619	
198	माठपुर	3	8.74	3.537	
	योग	11796	23233.851	9402.611	

कुल गन्ना सर्वेक्षण रिपोर्ट ग्रामवार (मुगेली) सत्र 2019-20					
स.क्र.	ग्राम का नाम	कुल गन्ना कृषक संख्या	कुल गन्ना क्षेत्रफल एकड़ में	कुल गन्ना क्षेत्रफल हेक्. में	विशेष
1	टेढाघौरा	10	26.18	10.59	
2	बिजातराई	2	6.67	2.70	
3	बाधामुडा	2	5.19	2.10	
4	मुगेली	3	5.65	2.29	
5	तुलसीकापा	3	7.62	3.08	
6	बांकी	2	8.50	3.44	
7	कोलीहाडीह	2	6.22	2.52	
8	सेतगंगा	4	6.05	2.45	
9	भालापुर	2	4.62	1.87	
10	झलीयापुर	4	8.00	3.24	
11	पौनी	8	21.91	8.87	
12	सोनपुरी	2	7.70	3.12	
13	टीगीपुर	2	4.80	1.94	
14	सल्ली	2	5.50	2.23	
15	सारगंपुर	3	10.78	4.36	
16	सीपाही	4	11.53	4.67	
17	डोडापौनी	2	7.10	2.87	
18	कैसलीकला	3	3.11	1.26	
19	सेमरकोना	2	2.83	1.15	
20	भुरका भाटा	2	4.40	1.78	
21	निराम	2	3.61	1.46	
22	धनगाव	3	6.89	2.79	
23	उदका	4	8.55	3.46	
24	बीचारपुर	2	8.30	3.36	
25	लालाकापा	1	0.69	0.28	
26	भुरका	3	6.49	2.63	

स.क्र.	ग्राम का नाम	कुल गन्ना कृषक संख्या	कुल गन्ना क्षेत्रफल एकड़ में	कुल गन्ना क्षेत्रफल हेक्. में	विशेष
27	मदनपुर	2	4.60	1.86	
28	दाबो	3	6.97	2.82	
29	जल्ली	3	8.29	3.35	
30	केहरपुर	2	5.10	2.06	
31	भीमपुरी	2	5.21	2.11	
	योग	91	229.06	92.700	

कुल गन्ना सर्वेक्षण रिपोर्ट ग्रागवार (लोरभी) सत्र 2019-20					
स.क्र.	ग्राम का नाम	कुल गन्ना कृषक संख्या	कुल गन्ना क्षेत्रफल एकड़ में	कुल गन्ना क्षेत्रफल हेक्. में .	विशेष
1	घटोली	11	24.30	9.83	
2	खरपीकला	9	19.86	8.04	
3	लगरा	14	34.40	13.92	
4	साल्हेघेरी	10	34.90	14.12	
5	सुकली	2	3.30	1.34	
6	विचारपुर	2	4.00	1.62	
7	मेघापारा	2	3.53	1.43	
8	कोदवामहतं	2	7.41	3.00	
9	लीलापुर	2	2.88	1.17	
10	जुनपानी	3	5.66	2.29	
11	कोशेमतरा	2	4.25	1.72	
12	कोयलारी	2	6.00	2.43	
13	बोडतराकला	2	6.29	2.55	
14	तेलीखाम्ही	8	23.71	9.59	
15	बगमार	2	4.75	1.92	
16	फुलक्षर	3	5.19	2.10	
17	पथरी	4	7.71	3.12	
18	खैरवार खुर्द	7	12.58	5.09	
19	दाउकापा	2	5.24	2.12	
20	गुरुवाडबरी	2	6.16	2.49	
21	खैराखुर्द	2	4.51	1.83	
22	भनगरहाटोला	2	3.11	1.26	
23	डुमरहा	7	15.15	6.13	
24	हरदी	5	15.73	6.37	

स.क्र.	ग्राम का नाम	कुल गन्ना कृषक संख्या	कुल गन्ना क्षेत्रफल एकड़ में	कुल गन्ना क्षेत्रफल हेक्. में .	विशेष
25	डीडोल	3	7.08	2.87	
26	गोलहापारा	11	25.86	10.47	
27	रैत्राकला	2	5.40	2.19	
28	देवरहट्ट	5	8.28	3.35	
29	रैत्राखुर्द	3	4.80	1.94	
	योग	131	312.03	126.27	

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 6th December 2019

No. 1394/Confdl./2019/II-2-1/2019.—The following Members of Higher Judicial Service, as specified in Column No. (2) of the table below, are transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) and are posted in the Fast Track Special Courts established by the State Government vide Notification No. 11325/3362/XXI-B/C.G./19 dated 05-11-2019 in the capacity as mentioned in Column No. (6) from the date they assume charge of their office(s) and;

The following Members of Higher Judicial Service are appointed as Additional Sessions Judge for the Sessions Division mentioned in Column No. (5) from the date they assume charge of their office(s) :—

TABLE

Sl. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Sessions Division (5)	Posted as (6)
1.	Smt. Vandana Deepak Dewangan, II Additional District and Sessions Judge.	Sakti	Ramanujganj	Balrampur at Ramanujganj	Additional District and Sessions Judge, Fast Track Special Court (for exclusive hearing of cases under POCSO Act).
2.	Shri Vivek Kumar Tiwari (Jr.), I Addl. Judge to the Court of I Additional District and Sessions Judge.	Durg	Bilaspur	Bilaspur	Additional District and Sessions Judge, I Fast Track Special Court (for exclusive hearing of cases under POCSO Act).
3.	Ku. Sanghratna Bhatpahari, I Additional District and Sessions Judge.	Janjgir	Bilaspur	Bilaspur	Additional District and Sessions Judge, II Fast Track Special Court (for exclusive hearing of cases under POCSO Act).

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.	Smt. Shubhra Pachouri, V Additional District and Sessions Judge.	Durg	Durg	Durg	Additional District and Sessions Judge, I Fast Track Special Court (for exclusive hearing of cases under POCSO Act).
5.	Dr. Mamta Shukla, III Additional District and Sessions Judge.	Durg	Durg	Durg	Additional District and Sessions Judge, II Fast Track Special Court (for exclusive hearing of cases under POCSO Act).
6.	Ku. Smita Ratnawat, IX Additional District and Sessions Judge.	Durg	Durg	Durg	Additional District and Sessions Judge, III Fast Track Special Court (for exclusive hearing of cases under POCSO Act).
7.	Shri Avinash Kumar Tripathi, X Additional District and Sessions Judge.	Durg	Durg	Durg	Additional District and Sessions Judge, IV Fast Track Special Court (for exclusive hearing of cases under POCSO Act).
8.	Smt. Geeta Neware, I Additional District and Sessions Judge.	Raigarh	Sakti	Janjgir-Champa	Additional District and Sessions Judge, Fast Track Special Court (for exclusive hearing of Rape cases and cases under POCSO Act).
9.	Shri Manvendra Singh, Additional District and Sessions Judge.	Saraipali	Manendragarh	Koriya (Baikunthpur)	Additional District and Sessions Judge, Fast Track Special Court (for exclusive hearing of Rape cases and cases under POCSO Act).
10.	Shri Rajeev Kumar, VII Additional District and Sessions Judge.	Raipur	Raipur	Raipur	Additional District and Sessions Judge, I Fast Track Special Court (for exclusive hearing of cases under POCSO Act).
11.	Ku. Radhika Saini, IX Additional District and Sessions Judge.	Raipur	Raipur	Raipur	Additional District and Sessions Judge, II Fast Track Special Court (for exclusive hearing of cases under POCSO Act).

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
12.	Shri Rajbhan Singh, Addl. Judge to the Court of Additional District and Sessions Judge.	Kunkuri	Gariaband	Raipur	Additional District and Sessions Judge, Fast Track Special Court (for exclusive hearing of Rape cases and cases under POCSO Act).
13.	Shri Shailesh Sharma, III Additional District and Sessions Judge.	Rajnandgaon	Rajnandgaon	Rajnandgaon	Additional District and Sessions Judge, Fast Track Special Court (for exclusive hearing of cases under POCSO Act).
14.	Shri Kamlesh Jagdalla, II Additional District and Sessions Judge.	Surajpur	Surajpur	Surajpur	Additional District and Sessions Judge, Fast Track Special Court (for exclusive hearing of Rape cases and cases under POCSO Act).
15.	Shri Amit Rathore, VI Additional District and Sessions Judge.	Ambikapur	Ambikapur	Surguja (Ambikapur)	Additional District and Sessions Judge, Fast Track Special Court (for exclusive hearing of cases under POCSO Act).

Bilaspur, the 6th December 2019

No. 1395/Confdl./2019/II-2-1/2019.—The following Member of Higher Judicial Service, as specified in Column No. (2) of the table below, is transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) and is posted in the capacity as mentioned in Column No. (6) from the date she assumes charge of her office and;

The following Member of Higher Judicial Service is appointed as Additional Sessions Judge for the Sessions Division mentioned in Column No. (5) from the date she assumes charge of her office :—

TABLE

Sl. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Sessions Division (5)	Posted as (6)
1.	Smt. Heemanshu Jain, II Additional District and Sessions Judge.	Korba	Saraipali	Mahasamund	Additional District and Sessions Judge.

By order of the High Court,
NEELAM CHAND SANKHLA, Registrar General.